न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
195 / 2021 / प्रार्थना पत्र	2021 / 280	22.09.2021	17.09.2025

अनवान

1– चन्दा पिता लादू भील निवासी सांखलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– महावीर पिता मोहन भील निवासी सांखलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– भगवान पिता मांगू भील निवासी सांखलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– गोपाल पिता लादू भील निवासी सांखलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– लाला पिता रतन भील निवासी सांखलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– रामस्वरूप पिता रतन भील निवासी सांखलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– कालू पिता रतन भील निवासी सांखलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– लाल पिता मांगू भील निवासी सांखलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

:: **बनाम** ::

1– सोनाथ पिता लादू भील निवासी सांखलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– भंवर पिता हिन्दू भील निवासी सांखलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –	श्री दुर्गालाल राजोरा	–अभिभाषक प्रार्थीगण
	विपक्षीगण संख्या 1 व 2	–एतरफा कार्यवाही
	विपक्षी संख्या 3	–पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सांखलिया पटवार हल्का अरनिया घोड़ा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा में स्थित खाता संख्या 59 खसरान किता 2 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर, खाता संख्या 70 किता 3 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खाता संख्या 72 किता 3 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खाता संख्या 75 किता 4 रकबा 0.54 हैक्टयर, खाता संख्या 149 किता 7 रकबा 1.70 हैक्टेयर, खाता संख्या 117 किता 2 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खाता संख्या 212 किता 3 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खाता संख्या 240 किता 1 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खाता संख्या 261 किता 2 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खाता संख्या 121 किता 2 रकबा 0.4 हैक्टेयर, खाता संख्या 123 किता 10 रकबा 2.94 हैक्टेयर, खाता संख्या 91 किता 8 रकबा 3.75 हैक्टेयर, खाता संख्या 118 किता 1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खाता संख्या 119 किता 1 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 1, 2 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की स्थित है। खाता संख्या 119 आराजी संख्या 389 डोहरी एवं खाता संख्या 118 आराजी संख्या 350 कुआ है जिसमें प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 1, 2 व अन्य काश्तकारों का संयुक्त हिस्सा होकर खातेदारी भूमि की सिंचाई कुआ 350 एवं डोहरी 389 से होती है। प्रार्थीगण अपने कब्जे की कृषि भूमि से कुए व डोहरी पर आने जाने हेतु श्रीनगर से नाहर सागर जाने वाले रास्ता नम्बर 275 से आराजी संख्या 351, 720 / 349 जो कि विपक्षी संख्या 01 व 02 के खाते में दर्ज है के बीच की मेर से होते हुए आराजी नम्बर 720 / 349 की पूर्वी मेर से होते हुए 722 / 349 की पूर्वी मेर से होते हुए पूर्वी दक्षिणी कोने पर खढे के पास से होते हुए आराजी नम्बर 348, 725 / 347,

728/347, 341, 340 की दक्षिणी मेर से होते हुए डोहरी संख्या 389 पर आते जाते है व रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। कुए एवं डोहरी पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने आराजी नम्बर 351, 720/349 के चारों तरफ लोहे की जाली लगा कर रास्ते को अवरोधित कर दिया एवं प्रार्थीगण द्वारा रास्ता खुलासा करने हेतु कहा तो प्रार्थीगण के साथ गाली गालौच की व लड़ाई झगड़ा पर आमादा हुए। इसी कारण प्रार्थीगण द्वारा नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण कुए व डोहरी का उपयोग नहीं कर पायेंगे एवं स्वयं के कब्जे एवं खाते की कृषि आराजियात को काश्त करने से वंचित हो जायेगें। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 02 में वर्णित अनुसार 20 फीट चौड़ा नवीन रास्ता कायम किये जाने का आदेश बक्षावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिसे रेकार्ड पर लिया गया।

विपक्षीगण संख्या 01 व 02 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 3 राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगणगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक तहनाल की मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 350 व 389 पर पहुंच हेतु आराजी संख्या 351, 720/349 के बीच मेड़ से होते हुए आराजी नम्बर 720/349 व 722/349 की पूर्वी मेड़ से होते हुए आराजी नम्बर 348, 725/347, 728/347, 341, 340 की दक्षिणी मेड़ से होते हुए डोहरी संख्या 389 पर पहुंच हेतु रास्ता चाहा है। जिनमें से मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकल रहा है। डोहरी संख्या 389 मौके पर बंद होकर उपयोग में नहीं आ रही है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 351, 720/349 में ही अपनी डोहरी खसरा संख्या 389 तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा है। जबकि खसरा संख्या 720/349 व डोहरी संख्या 389 के मध्य आराजी नम्बर 722/349, 348, 725/347, 728/347, 341, 340 भी स्थित होकर इनमें से भी रास्ता प्रस्तावित होता है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा इन आराजियात के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम/लघुतम नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है किः—

प्रार्थीगण द्वारा स्वयं एवं विपक्षीगण संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि आरजी नम्बर 350, 389 पर पहुंच हेतु रास्ता चाहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 02 में आराजी नम्बर 389 पर पहुंचन हेतु रास्ते का वर्णन किया है जिसके अनुसार प्रार्थीगण **"आराजी संख्या 351, 720/349 जो कि विपक्षी संख्या 01 व 02 के खाते में दर्ज है के बीच की मेर से होते हुए आराजी नम्बर 720/349 की पूर्वी मेर से होते हुए 722/349 की पूर्वी मेर से होते हुए पूर्वी दक्षिणी कोने पर खढे के पास से होते हुए आराजी नम्बर 348, 725/347, 728/347, 341, 340 की दक्षिणी मेर से होते हुए डोहरी संख्या 389 पर आते जाते है व रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है।"** किन्तु प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 722/349, 348, 725/347, 728/347, 341, 340 के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। साथ ही प्रकरण में प्राप्त भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 350 व 389 पर पहुंच हेतु आराजी संख्या 351, 720/349 के बीच मेड़ से होते हुए आराजी नम्बर 720/349

व 722/349 की पूर्वी मेड़ से होते हुए आराजी नम्बर 348, 725/347, 728/347, 341, 340 की दक्षिणी मेड़ से होते हुए डोहरी संख्या 389 पर पहुंच हेतु रास्ता चाहा है। जिनमें से मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकल रहा है। डोहरी संख्या 389 मौके पर बंद होकर उपयोग में नहीं आ रही है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण सिद्ध नहीं होता है क्यों कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में जिन आराजियात में से रास्ता निकलना बताया है, भू0अ0अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट अनुसार मौके किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकल रहा है। साथ ही आराजी नम्बर 348, 725/347, 728/347, 341, 340 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि स्वयं प्रार्थना पत्र में इन आराजियात में से रास्ता निकलना वर्णित किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए विरूद्ध विपक्षीगण सिद्ध नहीं होने एवं आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.09.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा